रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 29, 1988/कार्तिक 7, 1910
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 29, 1988/KARTIKA 7, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

(संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1988

आदेश

आ.अ. 101--निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट सिक्किम विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 1985 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अंतर्गत और/अथवा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहा है ;

और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	सिक्किम विधान-सभा के लिए साधारण निर्वाचन 1985	23-डजोंगू (भू.ले.)	श्री सोमा थोमस लेप्चा सोमशारिया पश्चिम सिक्किम, सिक्किम।	निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अंतर्गत विधिवत दाखिल करने में असफल।

1	2	3	4	5
2.	--वही--	--वही--	श्री ओंगदेन लेप्चा, बारफोक ब्लॉक, डा. घर संगलांग. डजो-मागु, सिक्किम।	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया।
3.	—वही—	24-लाचेन मंगशिला (भू.ले.)	श्री नीमचिंग लेप्चा, गांव संग-डोंग, डा. घर : ही ग्यांग डजो-मागु, उत्तर सिक्किम, सिक्किम।	—वही—
4.	—वही—	25-कबी टिंगडा (भू.ले.)	श्री कर्म चूटिम भूटिया, पैंलोंग, डा.घर : पैंनोंग, पूर्व सिक्किम।।	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नही किया
5.	--वही--	--वही--	श्री कर्म पिन्टसो भेटिया, पैंलोंग बाजार, डा.घर : पैंलोंग, पूर्व सिक्किम, सिक्किम	--वही--
6.	--वही--	--वही--	श्री सीतम लांगसी भूटिया, नवये डा.घर : पैंलोंग, सिक्किम।	--वही--

[सं. 76/सिक्किम/88]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 7th October, 1988

ORDERS

O.N. 101—Whereas the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General election to the Sikkim Legislative Assembly, 1985 as specified in column (2) and held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge an account of his election expenses or failed to lodge the account within the time and/or in the manner, as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission, after considering the representations made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of 3 years from the date of this order.

TABLE

S. No.	Particulars of election	S.No. & Name of Assembly Constituency	Name & address of contesting candidates	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Sikkim Legislative Assembly, 1985	23-Dzongu (BL)	Shri Nima Thomas Lepcha, Sombaria, West Sikkim, Sikkim	Account of election expenses not lodged within the time and in the manner required by law.
2.	-do-	-do-	Shri Ongden Lepcha, Berfok Block P.O. Sangkalang, Dzongu, Sikkim.	Account of election expenses not lodged.
	-do-	24-Lachen Mangshila (BL)	Shri Nimching Lepcha, Gnon Sangdong. P.O. Hee Gyathang Dzongu, North Sikkim, Sikkim.	-do-

1	2	3	4	5
4.	-do-	25-Kabi Tingda (BL)	Shri Karma Chultim Bhutia, Penlong, P.O. Penlong, East Sikkim, Sikkim.	Account of election expenses not lodged
5.	-do-	-do-	Shri Karma Pintso Bhutia, Pentong Bazar, P.O. Penlong, Bast Sikkim, Sikkim.	-do-
6.	-do-	-do-	Shri Sonam Wangdi Bhutia, Navey, P.O. Penlong, Sikkim.	-do-

[No. 76/SKM/88]

आ.अ. 102.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि श्री भीम कुमार राय, बागधारा रोड, कालिमपोंग, पश्चिम बंगाल, जो 1987 में हुए 22-कालिमपोंग विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के साधारण निर्वाचन में अभ्यर्थी थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण या न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में श्री भीम कुमार राय को संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए आदेश की तारीख से 3 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/प.ब.-वि.स./88]

O.N. 102.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhim Kumar Rai, Bagdhara Road, Kalimpong, West Bengal, a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly of West Bengal from 22-Kalimpong Assembly Constituency, held in 1987 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And, whereas, the said candidate, even after the notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhim Kumar Rai to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. 76|WB-LA|88]

आ.अ. 103.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि श्री बेन्द्रो नजीयार, लुमियाब्लोट, नोंगथाम्माई, पूर्व खासी हिल्स जिला मेघालय, जो 24-सोहरेंगख्राम (अ.ज.जा.) मेघालय विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से हुए साधारण निर्वाचन में अभ्यर्थी थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और श्री बेन्द्रो नजीयार ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण या न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है।

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में श्री बेन्द्रो नजीयार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए आदेश की तारीख से 3 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/मेघा./88 (6)]

O.N. 103.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bendro Najiar of Lumiablot, Nongthymmai, East Khasi Hills District, Meghalaya, a contesting candidate for the general election to Meghalaya Legislative Assembly from 24-Sohryngkham (ST) assembly constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder;

And, whereas, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares Shri Bendro Najiar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this order.

[No. 76|MEG|88(6)]

आ.अ 104—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि श्री ननी गोपाल दास, गांव तथा डाकघर—सोनामुरा, जिला-त्रिपुरा (पश्चिम) जो 22-धानपुर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से त्रिपुरा विधान सभा के लिए हुए साधारण निर्वाचन में अभ्यर्थी थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में श्री ननी गोपाल दास को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए आदेश की तारीख से 3 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/त्रिपुरा/88]
आदेश से,
एस.डी. प्रशाद, अवर सचिव

O.N. 104.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nani Gopal Das, Vill. & P.O. Sonamura, Dist. Tripura (West) a contesting candidate for the general election to Tripura Legislative Assembly from 22-Dhanpur assembly constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas, Shri Nani Gopal Das has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares Shri Nani Gopal Das to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this order.

[No. 76/TP/88]
By order,
S. D. PERSHAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1988
आदेश

आ.अ. 105—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि श्री दिवाकरण पिल्लई मन्नारकोनाथ वीद कुथिराकुलम, वेनजरामूडु, केरल जो 1987 में केरल विधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में 130-वमानापुरम विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में श्री दिवाकरण पिल्लई को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/केरल-वि.स./87 (198)]
आदेश से,
राम किशन, अवर सचिव

New Delhi, the 7th October, 1988
ORDER

O.N. 105.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Divakaran Pillai, Mannarakonath Veedu, Kuthirakulam, Venjaramoodu, Kerala, a contesting candidate for the election to the Kerala Legislative Assembly held in 1987 from the 130-Vamanapuram Assembly constituency has failed to lodge the account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder.

And, whereas, the said candidate has not furnished any reasomn or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares Shri Divakaran Pillai to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliamen or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this order.

[No. 76/KL-LA/87(198)]
By order,
RAM KISHAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988